(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 125/2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/123

बउनवान

1– पंसुरीबाई आयु 70 वर्ष पुत्री नाथूलाल पत्नी अर्जुन जाति मेहर निवासी छैलाबेल हाल फतेहपुर तहसील बारॉ जिला बारॉ (राज.)

2– शांतिबाई आयु 57 वर्ष पुत्री नाथूलाल पत्नी नेताराम जाति मेहर निवासी मण्डोला तहसील बारॉ जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति मेहर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के प्रकरण संख्या 10/2020 मे पारित आदेश दि. 16.06.2020 की पालना मे खोले गये नामान्तकरण संख्या 445 की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0, 1956

उपस्थित :–	1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक	(अपीलांट)
	2– श्री बृजराज किशोर शर्मा	(रेस्पो. क्रम 1)
	3– पेरोकार सरकार	(रेस्पो. क्रम 2)

निर्णय दिनांक 04.04.2022

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 10/2020 मे पारित आदेश दिनांक 16.06.2020 की पालना मे खोले गये नामान्तकरण संख्या 445 दिनांक 23.06.2020 ग्राम छैलाबेल तहसील अटरू की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 26.03.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम छैलाबेल की आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 0.60 हेक्टयर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.38 हेक्टयर कुल 2 किता कुल रकबा 0.98 हेक्टयर का एक फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के [illegible] इतकाल खोला गया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में विधि का सही तरीके से विवेचना नहीं किया गया, जिसमें स्पष्ट है कि पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नही की जा सकती और यदि पैतृक सम्पत्ति मे अपने हिस्से की वसीयत की जाती है है तो समस्त वारिसान को सुना जाना आवश्यक है जबकि उक्त प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र 20 दिन मे बिना मृतक खातेदार के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये उक्त निर्णय व नामान्तकरण खोला गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:40:59 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर नही किया गया कि प्रस्तुत वसीयत दिनांक 08.05.2000 की है तथा खातेदार की मृत्यु दि. 01.01.2001 को हुई है तो उक्त आराजी की खातेदारी तथा वसीयत जांच के लिये आवेदन 19 साल देरी से पेश करने का कारण न्यायालय ने कही भी स्पष्ट नही किया है जिससे राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों एवं रेस्पोडेन्ट क्र 1 की मिली भगत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण आवेदन दि. 27.05.2020 तथा निर्णय दिनांक 16.06.2020 को मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर तथा फर्जी व कूटरचित वसीयत के गवाह बयान लेकर एक तरफा रूप से कर दिया जो विधि विरूद्व है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि अनरजिस्टर्ड वसीयत की जांच तहसीलदार द्वारा की जाती है तब मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों की रिपोर्ट ली जाकर तथा उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण करना होता है परन्तु हस्तगत अपील मे ऐसा नही कर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण मृतक कन्हैयालाल की सगी भतीजियॉ है तथा कन्हैयालाल द्वारा ही अपीलांटगण की शादी–ब्याह व कन्यादान किया गया था। इस कारण अपीलांटगण मृतक खातेदार के विधिक वारिसान है तथा उक्त निर्णय से उनके हित प्रभावित हुये है। चूंकि अपीलांटगण अपील में पक्षकार नहीं थे, इस कारण धारा 96 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2020 की पालना मे खुले इंतकाल नम्बर 445 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालीय में इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करे कि मृतक खातेदार के सम्पूर्ण विधिक वारिसान की जांच कर तथा साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 10/2020 मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.06.2020 की पालना मे खोले गये नामान्तकरण संख्या 445 दि. 23.06.2020 ग्राम छैलाबेल तहसील अटरू मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। उक्त वसीयत मे गवाह चौथमल, जगदीश, पूरणमल, जमनाबाई, बद्रीलाल आदि के बयान लिये गये है एवं पटवार मण्डल खुरी की रिपोर्ट ली गई है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवेन्यु) अधिनियम, 1956 की धारा 135 (2) और 175 के अन्तर्गत आता है जिसमे नामान्तकरण का प्रकरण अविवादित नही होकर विवादित था। नामान्तकरण स्वीकृति का आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत आता है और ऐसे आदेश के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत निदेशक, भू अभिलेख के समक्ष अपील करने का प्रावधान है और निदेशक भू अभिलेख की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त को प्रदत्त की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:40:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अपीलांट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि हमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही सुना गया और रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि वसीयत मे गवाह आदि के बयान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिये गये है। इसके पश्चात इंतकाल खोला गया है। प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधि0

की धारा 135 (2) और 175 के अन्तर्गत आता है जिसको सुनने का अधिकार न्यायालय सम्भागीय आयुक्त को है। इस पर प्रकरण मे राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवेन्यु) अधिनियम, 1956 धारा 135 (2) और 175 का अवलोकन किया गया जिसके तहत उक्त प्रकरण विवादित होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के खण्ड (एफ) के अन्तर्गत निदेशक, भू अभिलेख के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है और निदेशक भू अभिलेख की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा सम्भागीय आयुक्त को प्रदत्त की गई है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांटगण सक्षम न्यायालय मे उक्त आदेश/इंतकाल की अपील प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **04.04.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:40:59 IST
Reason: SelfAttested